# न्यायालय उ0 सिविल जज (वरीय कोटि)–II, कहलगॉव, भागलपुर

## विविध वाद संख्या–23/1991

**शंभु प्रसाद संथालिया व अन्य.....(वादीगण)**

**बनाम**

**विजय कुमार संथालिया व अन्य.....(प्रतिवादीगण)**

## आदेश

**25.06.2025:–**

वादी एवं प्रतिवादी की ओर से पैरवी की गयी। वाद का पुकार किया गया। पुकार पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वादी संख्या 01 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.03.2025 को संचालित किया गया। वादी संख्या 01 की विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद के आदेश दिनांक 03.04.1998 को देखने से ऐसा पता चलता है कि प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा एक आवेदन इस आशय का दिया गया कि अवर न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय मे वाद संख्या 237/1992 एवं श्रीमान् अपर मुंसिफ प्रथम के न्यायालय में Title Eviction No. 04/1995 का निष्पादन किया गया, जोकि जिला अभिलेखागार मे जमा हो गया है, की मॉग की गई है। प्रतिवादी संख्या 01 का आवेदन स्वीकृत किया गया एवं इस आदेश की अभिप्रमाणित प्रति वादी के पास है। उपर्युक्त दोनों निष्पादित अभिलेख दिनांक 06.04.1998 को प्राप्त हुआ। इसके बाद दोनों निष्पादित वाद का अभिलेख कभी नही मिला और न ही उसे पुनः अभिलेखागार में जमा किया गया। महाशय प्रस्तुत वाद में आज तक बराबर रिकार्ड एवं कागजात गुम होते जाते हैं। इससे वादी का पक्ष वाद में कमजोर होता जा रहा है। प्रस्तुत वाद पुनः निर्माण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु चला आ रहा है। महाशय पुनः निर्माण इसके पहले भी दो बार हो चुका है। पुनः निर्माण करने के बाद आज तक रिकार्ड की गुम होने की जॉच न की गई ना ही कराई गई। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि 1998 के बाद दीवानी वाद संख्या 237/1992 एवं Title Eviction No. 04/1995 निष्पादित होने के बाद जोकि प्रतिवादी संख्या 01 के आवेदन पर मॅगवाया गया, उसकी जॉच कराई जाए एवं पुनः निर्माण के लिए उचित कदम उठाये जाने की कृपा की जाय।

वादी के आवेदन दिनांक 26.03.2025 पर प्रतिउत्तर प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से दिनांक 02.04.2025 को दाखिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी संख्या 01 के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.03.2025 चलने योग्य नही है। इस तरह का आवेदन दाखिल कर सिर्फ प्रतिवादी संख्या 01 को परेशान किया जाता है, ताकि वाद का निष्पादन ना हो सके। महाशय दीवानी वाद संख्या 237/1992 एवं Title Eviction No. 04/1995 वादी संख्या 01 एवं वादी संख्या 02 के बीच चला था, जिसे बाद में withdraw कर लिया गया था। उस वाद का प्रस्तुत वाद 23/1991 से कोई लेना–देना नही है तथा वाद में अभिलेख मॅगवाने की कोई आवश्यकता भी नही है। महाशय वादी की ओर से बाद में जो भी

**पश्चात्**

**25.06.2025:–**

कागजात दाखिल किया गया है, उसे देखा जाय। सभी कागजात प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा दाखिल किया गया है। महाशय पुनः निर्माण का आदेश माननीय जिला जज, भागलपुर द्वारा दिया गया था साथ ही दोनों पक्षों को यह निर्देश दिया गया था कि दोनों पक्ष वाद में सहयोग करें, जबकि वादी के द्वारा कोई भी सहयोग नही किया गया। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी के आवेदन दिनांक 26.03.2025 को खारिज करने का आदेश पारित किया जाय।

वादी के आवेदन 26.03.2025 पर प्रतिवादी संख्या 02 (NTPC) की ओर से दिनांक 09.04.2025 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादी का आवेदन दिनांक 26.03.2025 का आवेदन कानून की नजर में चलने योग्य नही है एवं काफी त्रुटिपूर्ण एवं अप्रासंगिक है। वादी के आवेदन के पारा 01 में जो बाते कही गई है, वह कागजातों पर आधारित है, लेकिन वादी संख्या 01 ने कोई भी कागजात साक्ष्य के रूप में दाखिल नही किया है। महाशय वादी संख्या 01 ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि दीवानी वाद संख्या 237/1992 एवं Title Eviction No. 04/1995 का संबंध वर्त्तमान दिवानी वाद संख्या 23/1991 से नही है। इससे स्पष्ट होता है कि वादी संख्या 01 का आवेदन तथ्यहीन एवं खारिज करने योग्य है। महाशय वादी संख्या 01 का आवेदन कागजातों का गुम होने एवं पुनः निर्माण से संबंधित है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नही आता है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है वादी संख्या का आवेदन दिनांक 26.03.2025 को खारिज कर दिया जाय, ताकि न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद ना हो सके एवं वाद का निपटारा तीव्र गति से किया जा सके।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन पश्चात् यह विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बहस हेतु चला आ रहा है इसी बीच वादी संख्या 01 की ओर से आवेदन इस आशय का दाखिल किया गया कि गुम हुए रिकॉड एवं वाद के पुनः निर्माण किया जाय। आवेदन को अवलोकन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि वादी संख्या 01 का आवेदन दिनांक 26.03.2025 पोषणीय नही है एवं कागजातों के गुम होने एवं वाद के पुनः निर्माण करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक 26.03.2025 को खारिज किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 02 (NTPC) के प्रतिउत्तर क्रमशः दिनांक 02.04.2025 एवं 09.04.2025 को निष्पादित किया जाता है। वादी अगर चाहे तो गुम हुए रिकॉड की जॉच हेतु एवं वाद के पुनः निर्माण हेतु श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भागलपुर के न्यायालय मे आवेदन दाखिल कर सकते है।

वाद दिनांक 02.07.2025 वास्ते अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करें।

उ0 सिविल जज(वरीय कोटि)-II
कहलगॉव(भागलपुर)